भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
महानगर दूरसंचार भवन Mahanagar Doorsanchar Bhawan,
ज.ला. नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002
J.L. Nehru Marg, (Old Minto Road), New Delhi-110002

सं सी.जी.-5/2/(1)/2021- उ.मा./4 दिनांक 04 जून, 2021

सेवा में/To,

Dr. Sandeep Sharma, President
SAMARPIT, Centre for Poverty
Alleviation and Social Research,
37, Geetanjali Enclave,
Ring Road No.2, Bilaspur (Chhatisgarh)-495001

विषय: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण **(**भादूविप्रा**)** के साथ उपभोक्ता संगठन के पंजीकरण का नवीनीकरण।

Sub: Renewal of Registration of Consumer Organization with Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).

महोदय/महोदया,

कृपया 'उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण विनियम**, 2013**' के प्रावधानों के संदर्भ में भादूविप्रा के साथ एक उपभोक्ता समर्थक समूह (CAG) के रूप में अपने संगठन के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन देखें ।

Please refer to your application for renewal of registration of your organization as a Consumer Advocacy Group (CAG) with TRAI in terms of the provisions of '**Registration of Consumer Organizations Regulations, 2013'.**

2. प्राधिकरण ने आपके संगठन के एक उपभोक्ता समर्थक समूह (CAG) के रूप में **31.03.2023** तक के पंजीकरण के नवीनीकरण को मंजूरी दे दी है और आपकी पंजीकरण संख्या वही रहेगी, अर्थात TRAI/CAG/06/2013-CA । कृपया भादूविप्रा के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख करें।

The Authority has approved the renewal of registration of your organisation as a Consumer Advocacy Group (CAG) **upto 31.03.2023** and your registration number will continue to be the same i.e. **TRAI/CAG/06/2013-CA**. Please quote the registration number in all correspondence with TRAI.

जारी/Contd...

3. एक पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूह के रूप में, भादूविप्रा आपके संगठन से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ाने, जागरूकता पैदा करने और दूरसंचार सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता हितों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करने की अपेक्षा करता है। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त विनियम के उप-विनियम 11 में उल्लिखित अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आपके संगठन के पंजीकरण की निरंतरता/नवीकरण, विशेष रूप से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

As a registered Consumer Advocacy Group, TRAI expects your organization to play an important role and supplement its efforts in enhancing consumer education, creating awareness and work for propagation and protection of consumer interests with regard to telecom services. You are also expected to discharge your responsibilities as enunciated in sub-regulation 11 of the said Regulation. Continuation/renewal of the registration of your organization would, in particular, be subject to the following conditions:

(i) संगठन को प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित विवरण, उसके वित्त पोषण के स्रोत को दर्शाने वाला विवरण और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गई अपनी गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करनी होगी।

The organization shall provide annual report and audited statement of accounts, statement showing source of its funding and detailed report of its activities carried out during the previous financial year latest by 31st October of each year.

(ii) वर्तमान अवधि के बाद पंजीकरण के नवीनीकरण पर, यदि संगठन द्वारा आवेदन किया जाता है, तो भादूविप्रा के साथ संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन और उपयोगिता के आधार पर भादूविप्रा द्वारा विचार किया जा सकता है।

The renewal of registration beyond the present period, if applied to by your organisation, may be considered by TRAI after assessment of performance and usefulness of the organization's association with TRAI.

(iii) संगठन अपने पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पहले, विनियम में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए पंजीकरण फॉर्म में नोडल अधिकारी अर्थात *संयुक्त सलाहकार (उ.मा.)* को आवेदन जमा कर सकता है।

The organization at least ninety days prior to the expiry of its registration, may submit an application, to the Nodal Officer i.e., *Joint Advisor (CA)*, in the Registration Form for renewal of its registration subject to fulfilling the eligibility criteria specified in the Regulation.

जारी/Contd…

(iv) प्राधिकरण उपभोक्ता संगठन के पंजीकरण को रद्द कर सकता है, यदि वह अपनी भूमिका को पूरा करने में विफल रहता है, अपात्र हो जाता है, उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित होता है और किसी भी तरह से प्राधिकरण के नाम का दुरुपयोग करता है।

Authority may cancel the registration of the consumer organization, if it has failed to fulfill its role, become ineligible, conducted itself in a manner prejudicial to the interests of the consumers and misused the name of the Authority in any manner.

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें। यदि आपको किसी और जानकारी/ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करने में संकोच न करें।

Kindly acknowledge receipt of this letter. In case you require any further information/clarification, please do not hesitate to contact the undersigned.

भवदीय /Yours faithfully

(Man Mohan Vyas),
Deputy Advisor (CA)
TRAI, HQ New Delhi
011-23664555/ Mb: 9425693919